न्यायालय संभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बईजलास राजेन्द्र सिंह शेखावत आई0ए0एस0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्या : 78/2020/अपील/एलआरएक्ट/कोर्ट कैंप बारां
दायरा दिनांक : 14.08.2020
अन्तर्गत धारा : 76 राज0भू राजस्व अधि0, 1956

उनवान

बालमुकन्द पुत्र धूलीलाल जाति मीणा निवासी मऊ, तहसील मांगरोल, जिला बारां

....अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार बारां, जिला बारां

.....रस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री बाबूलाल जैन अभिभाषक –अपीलार्थी
पेरोकार सरकार – रेस्पो0

::निर्णय::

दिनांक 02.06.2025

अपीलार्थी ने न्यायालय जिला कलक्टर बारां (संक्षेप में प्रथम अपीलीय न्यायालय) द्वारा प्रकरण सं0 123/2017 बउनवान बालमुकन्द बनाम राज0 सरकार में पारित निर्णय दिनांक 28.05.2018 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) के विरूद्ध यह द्वितीय अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1. प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय नायब तहसीलदार मांगरोल द्वारा को ग्राम मऊ के आराजी खसरा संख्या 1020 रकबा 0.08 है0 भूमि किस्म बारानी प्रथम पर अपीलार्थी को पश्चात्वर्ती अतिक्रमी मानते हुए निर्णय दिनांक 14.07.2017 से 128/– रूपये शास्ति राशि से दण्डित कर अतिक्रमित भूमि से बेदखल कर 90 दिन (3 माह) के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किये जाने का निर्णय पारित किया गया। जिसके विरूद्ध प्रथम अपील धारा 75 एलआरएक्ट में न्यायालय जिला कलक्टर, बारां के यहां अपीलार्थी द्वारा पेश करने पर निर्णय दिनांक 28.05.2018 से अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर सिविल कारावास के दण्डादेश को सशर्त माफ करते हुए प्रकरण न्यायालय तहसीलदार, मांगरोल को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये गये कि अपीलार्थी विवादित आराजी से कब्जा छोड़ दे, तहसीलदार मांगरोल के समक्ष 2 माह में उपस्थित होकर अण्डरटेंकिग पेश कर दे कि उक्त आराजी पर भविष्य में अतिचार नहीं करेगे तथा तहसीलदार मांगरोल कब्जा छोड़ने से संतुष्ट

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

हो जावे तो अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, मांगरोल द्वारा निर्णय दिनांक 14.07.2017 से दी गयी सिविल कारावास की सजा माफ की जाती है अन्यथा अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, मांगरोल का निर्णय दिनांक 14.07.2017 यथावत रहेगा।

2. अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 28.05.2018 से व्यथित होकर अपीलार्थी ने द्वितीय अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 अन्तर्गत न्यायालय हाजा में अपील पेश कर कथन किया गया कि अपीलार्थी उक्त आराजी पर गत 20 वर्ष से निरंतर कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा उक्त आराजी की किस्म बारानी प्रथम/बंजड़ है तथा उक्त आराजी अपीलार्थी के नाम नियमन योग्य हैं। अपीलार्थी भूमिहीन काश्तकार है तथा उक्त आराजी ही अपीलार्थी के परिवार की आजीविका का आधार है। यदि अपीलार्थी को बेदखल कर दिया गया तो अपील करना व्यर्थ हो जायेगा। नायब तहसीलदार मांगरोल ने जो निर्णय दिया है वह राजस्थान भू–अधिनियम, 1956 की धारा 22 के अन्तर्गत नोटिस देकर तलब किया था जबकि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 22 में तो राज्य सरकार को आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त, कलक्टर, अति0 जिला कलक्टर, भू0अभि0निरी0 की नियुक्तियों की अधिसूचना जारी करने का वर्णत किया गया है। इस प्रकार नायब तहसीलदार को धारा 22 में तलब करने का अधिकार नहीं है। यदि नायब तहसीलदार द्वारा नोटिस दिया गया है तो वह कौनसी धारा मे दिया गया है, कौनसे अधिनियम में दिया गया है, यह भी स्पष्ट नहीं है। इस संबंध में नायब तहसीलदार से स्पष्टीकरण मांगा जाना चाहिए था। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालयों का निर्णय फरमाया जावे।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस/सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी एवं रेस्पो0 पैरोकार सरकार सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को ही दोहराते हुए कथन किया कि अपीलार्थी उक्त आराजी पर गत 20 वर्ष से निरंतर कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा उक्त आराजी की किस्म बारानी प्रथम/बंजड़ है तथा अपीलार्थी भूमिहीन काश्तकार होने से उक्त आराजी अपीलार्थी के नाम नियमन योग्य हैं। नायब तहसीलदार मांगरोल ने जो निर्णय दिया है वह राजस्थान भू–अधिनियम, 1956 की धारा 22 के अन्तर्गत नोटिस देकर तलब किया था, जबकि उक्त धारा में नायब तहसीलदार को अधिकार प्राप्त नहीं है। इस

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

प्रकार यह स्पष्ट नहीं है कि नायब तहसीलदार द्वारा नोटिस दिया गया है, तो वह कौनसी धारा मे दिया गया है, कौनसे अधिनियम में दिया गया है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालयों का निर्णय फरमाया जावे।

5. रेस्पो0 पेरोकार सरकार ने दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय उचित होना प्रकट करते हुए अपील खारिज किये जाने का अनुरोध किया गया।

6. हमने अपील एव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी एंव रेस्पो0 पेरोकार सरकार पर मनन किया। पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख एवं आलौच्य जेरअपील निर्णय के अवलोकन से प्रकट होता है कि न्यायालय नायब तहसीलदार मांगरोल द्वारा ग्राम मऊ के आराजी खसरा संख्या 1020 रकबा 0.08 है0 भूमि किस्म बारानी प्रथम पर अपीलार्थी को पश्चात्वर्ती अतिक्रमी मानते हुए निर्णय दिनांक 14.07.2017 से 128/– रूपये शास्ति राशि से दण्डित कर अतिक्रमित भूमि से बेदखल कर 90 दिन (3 माह) के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किये जाने का निर्णय पारित किया गया। जिसके विरूद्ध प्रथम अपील धारा 75 एलआरएक्ट में न्यायालय जिला कलक्टर, बारां के यहां अपीलार्थी द्वारा पेश करने पर निर्णय दिनांक 28.05.2018 से अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर सिविल कारावास के दण्डादेश को सशर्त माफ करते हुए प्रकरण न्यायालय तहसीलदार, मांगरोल को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये गये कि अपीलार्थी विवादित आराजी से कब्जा छोड़ दे, तहसीलदार मांगरोल के समक्ष 2 माह में उपस्थित होकर अण्डरटेंकिग पेश कर दे कि उक्त आराजी पर भविष्य में अतिचार नहीं करेगे तथा तहसीलदार मांगरोल कब्जा छोड़ने से संतुष्ट हो जावे तो अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, मांगरोल द्वारा निर्णय दिनांक 14.07.2017 से दी गयी सिविल कारावास की सजा माफ की जाती है, अन्यथा अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, मांगरोल का निर्णय दिनांक 14.07.2017 यथावत रहेगा। प्रश्नगत प्रकरण में अपीलार्थी का न्यायालय हाजा में तर्क रहा है कि अपीलार्थी उक्त आराजी पर गत 20 वर्ष से निरंतर कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा उक्त आराजी की किस्म बारानी प्रथम/बंजड़ है तथा अपीलार्थी भूमिहीन काश्तकार होने से उक्त आराजी अपीलार्थी के नाम नियमन योग्य हैं। नायब तहसीलदार मांगरोल ने जो निर्णय दिया है वह राजस्थान भू–अधिनियम, 1956 की धारा 22 के अन्तर्गत नोटिस देकर तलब किया था, जबकि उक्त धारा में नायब तहसीलदार को अधिकार प्राप्त नहीं है। उपरोक्त विवेचनानुसार प्रकरण में अपीलार्थी के उपरोक्त तर्क के संबंध में प्रकट होता है कि नायब तहसीलदार, मांगरोल के

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

द्वारा प्रकरण संख्या 01/2017 उनवान सरकार बनाम बालमुकन्द में पारित निर्णय दिनांक 14.07.2017 में अपीलार्थी को सम्वत् 2073 में भी प्रकरण सं0 196 निर्णय दिनांक 17.03.2017 से भूमि से बेदखल किये जाने के पश्चात् प्रश्नगत आराजी पर ही पुनः अतिक्रमण किये जाने पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी होना साबित होने से उक्तानुसार 3 माह के सिविल कारावास एवं 128 रूपये तावान राशि से दण्डित किया गया है। प्रस्तुत प्रकरण मे अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, बारां के द्वारा राजस्व लोक अदालत में पारित निर्णय दिनांक 28.05.2018 से अपीलार्थी के प्रति लोक अदालत की भावना को दृष्टिगत रखते हुए, सहानुभूति का रूख अपनाते हुए सशर्त सजा माफ किया जाना उचित समझते हुए निर्णय दिनांक 28.05.2018 से प्रकरण न्यायालय तहसीलदार, मांगरोल को प्रतिप्रेषित किया गया है। चूंकि अपीलार्थी प्रश्नगत राजकीय भूमि पर अतिक्रमी की हैसियत से काबिज रहा है, ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.05.2018 न्यायोचित प्रकट होता है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, बारां के द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.05.2018 में हम किसी प्रकार का विधिक एवं तथ्यात्मक दोष नहीं पाते है। परिणाम स्वरूप अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन/बलहीन होने से खारिज की जाती हैं।

7. निर्णय आज दिनांक 02.06.2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर जारी किया गया।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
संभागीय आयुक्त
कोटा

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा